

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक / बा0वि0परि0 / विज्ञप्ति / 2025-26 / दिनांक 29-01-2026

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245 /2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मुजफ्फरनगर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साईट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

परियोजना	कुल रिक्त पद	अनारक्षित (UR)	अति पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जाति (ST)
बुढाना	10	2	4	3	1
चरथावल	04	0	3	1	0
जानसठ	12	6	2	4	0
खतौली	05	1	3	0	1
मोरना	13	4	5	3	1
शहर	04	2	2	0	0
पुरकाजी	15	5	7	3	0
सदर	09	3	4	2	0
शाहपुर	02	1	0	1	0
योग	74	24	30	17	03

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाईट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश -

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा का स्थायी निवासी एवं ग्रामसभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
4. आवेदिका की आयु कट ऑफ तिथि 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है-
I- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
II- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में विधिवक तत्कालशुदा/परित्यक्ता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
III- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
IV- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
V- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में विधिवक तत्कालशुदा/परित्यक्ता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
VI- उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
6. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिवक आदेश मान्य होंगे।
7. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
8. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे,

जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
9. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

10. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दिनांक 30.01.2026 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं।

11. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 19.02.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया उपरोक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न की जायेगी। अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग) से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नोट:- विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ सकती है।

भवदीय

(सुशील कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

(प्रकाशन हेतु नहीं)

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक सी-1973 / जि०का०अ० / बा०वि०परि० / विज्ञप्ति / 2025-26 / दिनांक:- 29-01-2026
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, मुजफ्फरनगर।
7. जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
8. प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं मुजफ्फरनगर बुलेटिन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम शासकीय दरों पर अपने दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 30.01.2026 के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, जनपद मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिक्तियों का विवरण बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा संबंधित तहसील व विकास खण्ड कार्यालय एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालयों पर चस्पा कराते हुए एक-एक फोटोग्राफ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।